

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, रॉची/दुमका
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग झारखण्ड।

रॉची, दिनांक ०७/०९/२१

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के मांग संख्या- 50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2702- लघु सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष-02-भू-जल, लघु शीर्ष-005 अन्वेषण, उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जॉच मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट मुख्य शीर्ष 2702- लघु सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 50 जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग)/ 2702-लघु सिंचाई	02- भू-जल	005-अन्वेषण/ 01-सर्वेक्षण एवं जॉच	877.573

कुल आवंटित राशि -

रुपये आठ करोड़ सतहत्तर लाख संतावन हजार तीन सौ मात्र।

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट उपबंध रु. 11293.27 लाख (एक सौ बारह करोड़ तिरानवे लाख सताईस हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, एवं 1681(वि.) दि. 16.06.15 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के राथ संबंधित आदेश की अभिप्रामाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
- प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिवर्थन में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग के पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।
8. कोषागार से, आवंटित राशि की निकासी, योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) झारखण्ड सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश के आलोक में किया जाएगा।
9. वित्त विभाग के पत्रांक - 29/बी टी ई-18/2014-15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों के उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जायेगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण Online किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉफी में Access No तथा Revoke No/ Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2022 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 100

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/खूंटी/गढ़वा/गुमला/गोड़ा/चतरा/चाईबासा/धनबाद/बोकारो/रामगढ़/सरायकेला/देवघर/सिमडेगा/दुमका/गिरीडीह/जमशेदपुर/लातेहार/पाकुड़/जामताड़ा/साहेबगंज/कोडरमा सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :- 100

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०यि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

(रॉची, दिनांक :- ०७/०९/२१)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)
सचिव

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

मां संख्या-50-जल संसाधन विभाग(लघु सिंचाई प्रभाग)
 मुख्य शीर्ष-2702-लघु सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-02-गृ-जल
 लघु शीर्ष-005 अन्वेषण/उप शीर्ष-01 सर्वेक्षण और जाँच

परिशेष I

पानांक. १००..... दिनांक.....०८।०३।२१ का अनुलग्नक

का सं	कार्यालय का नाम	वेतन	एवंटीसी०	देशीय चाचा	कार्यालय व्यय कर	किसाया, दर, आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दि विद्युत व्यय	विद्युत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	विद्युत शीर्ष-04-	विद्युत शीर्ष-05-	राशि लाख रुपये में
									शीर्ष-02-	शीर्ष-04-	शीर्ष-07-
१	२	३	४	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
१	मुख्य अधिकारी, लघु सिंचाई, उमा का	१८,०००	०,०००	०,४०	०,५००	०,०००	०,०००	०,२००	०,०००	०,८००	०,०००
२	गोजना मोनोट्रियर एवं आयोजन अन्वेषण एवं अधिकारी	५५,०००	०,०००	०,४०	०,७५०	०,०००	०,३००	०,३००	०,०००	०,८००	०,०००
३	लघु सिंचाई अन्वेषण एवं देवधर	५०,०००	०,०००	०,३०	०,४००	०,०००	०,०००	०,१५०	०,०००	०,७००	०,०००
४	लघु सिंचाई अधिकारी, अधिकारी अन्वेषण एवं अधिकारी	६०,०००	०,०००	०,०००	०,६००	०,०००	०,१५०	०,०००	०,०००	१,८००	०,०००
५	लघु सिंचाई अंचल-राजीवगां	११०,०००	०,०००	०,३०	१,०००	०,०००	०,३००	०,०००	०,०००	२,५००	०,०००
६	लघु सिंचाई अंचल-राजीवगां	१८९,०००	०,०००	०,२५	०,२५०	०,०००	०,१५०	०,३००	०,०००	०,०००	११४,०००
७	लघु सिंचाई प्रमंडल-राजीवगां	५०,०००	०,१००	०,०००	०,२००	०,०००	०,२००	०,१००	०,०००	०,३००	५१,०००
८	लघु सिंचाई प्रमंडल-राजीवगां	१२३,०००	०,०००	०,२५	०,२५०	०,०००	०,०००	०,२००	०,०००	०,५००	१२४,०००
		११,८००	०,०००	१,००	१,००	०,३००	०,३२०	०,३००	०,०५०	०,०००	१४,५७०
		१३४,८००	०,०००	१,२५	०,५५०	०,३२०	०,३००	०,०५०	०,०००	१,२००	०,१००
		१४६,०००	०,०००	०,२५	०,२५०	०,०००	०,१००	०,०००	०,५००	०,०००	१४७,१००
		६३,४००	०,४००	०,०००	०,२५०	०,१००	०,१५०	०,०५०	०,०००	०,३००	०,१००
		२०९,४००	०,४००	०,२५	०,५००	०,१००	०,१५०	०,०००	०,८००	०,१००	२१,८५०

(एजेन्ड प्रसाद)
उप सचिव (आमि)(स्थान किशोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (आमि)(प्रशासन कुमार)
सचिव

क्रम सं	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विस्तृत शीर्ष-01-बैतन एवं नाने शीर्ष-02-			विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय			विस्तृत शीर्ष-04-माटरालिया इन्वेंटरी एवं नाने शीर्ष-05-			विस्तृत शीर्ष-06-सार्वजनिक विवर					
		बैतन	एलटीएलटी	दरोनीय यात्रा यात्रा	कार्यालय व्यय क्रम	किम्बा. दर.	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसाथ वर्दी	विद्युत व्यय	माटरालिया इन्वेंटरी एवं नाने शीर्ष-04-	कुल योग अनियुक्ति	सार्वजनिक लाभ रूपये में				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-गिरिधिह	पूर्व का आवंटन 0.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	161.000	1.930	
10	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-गुमला	युत आवंटन 160.000	0.000	0.250	0.250	1.930	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	162.930		
11	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-चाईबासा	पूर्व का आवंटन 200.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	201.100		
12	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-तुमका	पूर्व का आवंटन 400.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	401.100		
13	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-पाकड़	पूर्व का आवंटन 400.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	403.070		
14	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-मोदीनगर	पूर्व का आवंटन 180.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	181.100		
15	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-रामगढ़	पूर्व का आवंटन 150.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.150	0.050	0.000	0.000	0.300	0.400	1.100	20.750	
16	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-रोची	पूर्व का आवंटन 425.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	426.100		
17	लघु सिंचाई प्रमङ्गल-साहेबगंज	कुल आवंटन 425.000	0.000	0.250	0.5500	0.000	0.250	0.100	0.000	0.000	0.500	0.300	426.950			
18	लघु सिंचाई लखांकण एवं मोनेटरिंग प्रमङ्गल-तुमका	पूर्व का आवंटन 40.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	41.100		
		कुल आवंटन 40.000	0.000	0.250	0.450	0.000	0.150	0.100	0.000	0.000	0.900	0.000	41.850			

(संघेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (आगि)(स्थान कियोर प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव (आगि)(प्रशांत कुमार)
सचिव100
०५०७।२।

क्रम सं	वित्तीय वर्ष 2021-2022	विस्तृत शीर्ष-01—बेतन एवं नाते			विस्तृत शीर्ष-02—			विस्तृत शीर्ष-03—प्रशासनिक यथा			विस्तृत शीर्ष-04—			विस्तृत शीर्ष-07—			राशि लाख रुपये में	
		बेतन	एलटीटीसी०	देशीय यात्रा	कार्यालय यथा	किरणा, दर्द	आपूर्ति एवं सामग्री	दूसराष	बद्दी	विद्युत यथा	माटरसाइडों नाते एवं सरनाते	विद्युत यथा	माटरसाइडों नाते एवं सरनाते	कुल योग	अधिकृति			
1	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	5052702020050	505270202005	5052702020050	5052702020050	5052702020050	5052702020050	505270202005	505270202005	505270202005	505270202005	505270202005	505270202005	505270202005	505270202005	राशि लाख रुपये में	
19	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल, रौची	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल, रौची कुल आवंटन	पूर्ण का आवंटन 30.000	0.000	0.250	0.250	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.500	0.000	191.100	30.800	
	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	पूर्ण का आवंटन 71.990	0.000	0.250	0.450	0.000	0.200	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.900	0.000	221.900	73.830	
	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	पूर्ण का आवंटन 151.990	0.000	0.250	1.12000	0.000	0.120	0.150	0.000	0.000	0.000	0.000	1.300	0.000	154.930		
	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	पूर्ण का आवंटन 850.840	0.750	1.600	5.170	4.773	3.220	0.720	0.000	0.000	8.500	2.000	877.573				
	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	लघु सिचाई लापकण प्रमंडल—रौची कुल आवंटन	पूर्ण का आवंटन 850.840	0.750	1.600	5.170	4.773	3.220	0.720	0.000	0.000	8.500	2.000	877.573				

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि—

रु. आठ करोड़ सतहतर लाख सतावन हजार तीन सौ मात्र।

2.2

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधिक)

100
०७१०७१९१

प्रशांत कुमार
सचिव

इयम किशोर प्रसाद सिंह
संयुक्त सचिव (अधि.)